राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.19(3)निजभूस/राजग्रवि/2013–14/ 2658-718 दिनांक : 15/7/13

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद

विषय :– एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं को बन्द करने के सम्बन्ध में।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मैको मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर कार्य योजना अन्तर्गत एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. योजना में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं की कियान्विति हेतु विभाग को राशि प्राप्त होती है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मैको मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर कार्य योजना 31 मार्च, 2013 से समाप्त कर दी गयी है, जिसके कारण एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. योजनान्तर्गत ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं के शेष कार्यों हेतु वर्ष 2013–14 से कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। इन परियोजनाओं हेतु अन्य किसी योजना से राशि प्राप्त नहीं होने की सम्भावना के कारण राज्य सरकार द्वारा इन जलग्रहण परियोजनाओं को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इन परियोजनाओं को तत्काल बन्द कर दिया जावें। योजनान्तर्गत कोई नवीन कार्य नहीं कराये जावे एवं पूर्व में कराये गये कार्यों का भुगतान जिले/पंचायत समिति/जलग्रहण समिति में उपलब्ध राशि से किया जाकर अवशेष नकद राशि पुनः राज्य सरकार को लौटा दी जावें।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में गत तीन माह में सभी जिलों द्वारा शून्य प्रगति रिपोर्ट की है, जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में आप द्वारा कोई नवीन कार्य सम्पादित नहीं किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत नवीन देनदारियों की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की होगी।

अतः आप सम्बन्धित पंचायत समितियों एवं जलग्रहण समितियों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करने का श्रम करे।

15.7.13
निदेशक

कमांक : एफ.19(3)निजभूस/राजग्रवि/2013–14/ 2658-718 दिनांक : 15-7-13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जिला.....।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी./प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
6. समस्त उपनिदेशक, निदेशालय, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता (भू–संसाधन), जिला परिषद.....को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर निदेशालय को अवगत करावें।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....को पालनार्थ।
9. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

अतिरिक्त निदेशक
(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)